न्यायालय अपर जिला जज, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।

पीठासीन – श्रीमती प्रतिभा तिवारी ....(एच0जे0एस0)

सिविल पुनरीक्षण संख्या 18/2022

C.N.R.NO- UKPG050002082022

महिपत सिंह पुत्र लूडा सिंह,
निवासी–ग्राम सिम्भलचौड़, पट्टी सुखरौ,
तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल।

.....वादी/पुनरीक्षणकर्ता

प्रति

1. उत्तराखण्ड सरकार
2. पुलिस उपाधीक्षक, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल
3. ग्राम प्रधान/पार्षद, सिम्भलचौड़,
पट्टी सुखरौं, तहसील–कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल।

.....प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता– श्री अभय अग्रवाल
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता– श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई

दिनांक 07.01.2023 **निर्णय**

मूल वाद सं. 43/2015 महिपत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि के प्रकरण में विद्वान सीनियर सिविल जज, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण उक्त मूल वाद के वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आक्षेपित आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में वाद पत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र 79–क को उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त गुणदोष पर पारित आक्षेपित आदेश से निरस्त कर दिया है।

3– मैने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय अग्रवाल तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई को सुना तथा आक्षेपित आदेश एवं पुनरीक्षण के मेमों के साथ सलंग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

4– पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह विदित है कि पुनरीक्षणकर्ता/वादी ने विद्वान सीनियर सिविल जज, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के समक्ष मूल वाद सं. 43/2015 में एक संशोधन प्रार्थनापत्र 79–क इस आधार पर प्रस्तुत किया कि न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नगत् आराजी

के संबंध में सर्वे कमीशन हुआ, जिसकी आख्या से वादी को यह स्पष्ट हुआ है कि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत् आराजी में पुलिस क्षेत्रीय आवास/कार्यालय बना लिया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 589.951 मीटर है। यह घटना दौरान वाद की है और इसके संबंध में आदेशात्मक आदेश हेतु अनुतोष लिया जाना आवश्यक है।

5— प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि वादी को दावा पेश करते समय व गवाही के समय अपनी भूमि का पता ही नहीं था। वादी फर्जी सर्वे कमीशन रिपोर्ट के आधार पर संशोधन करना चाहता है, जिससे वादी का मकसद वाद की प्रकृति, मूल्यांकन बदलना है। प्रतिवादी का भवन अपनी भूमि पर है जो पुलिस क्षेत्राधिकारी के नाम खाता खतौनी में दर्ज है। वादी पुलिस क्षेत्राधिकारी के भवन को तुड़वाना चाहता है, जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भूमि की नपत व शिनाख्त करने के पश्चात् ही सरकारी भूमि में बना है। सर्वे कमीशन राजस्व अधिकारियों के सम्मुख नहीं हुआ और फिक्स प्वांईट के आधार पर नहीं हुआ।

6— पुनरीक्षकर्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में सर्वे कमीशन होने के कारण ही विलंब हुआ है और वादीगण अपने वाद में सदैव तत्पर रहे है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन विचारण न्यायालय ने वादी का प्रार्थनापत्र निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की है।

7— पुनरीक्षणकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक—निर्णय भी प्रस्तुत किये हैं—

1. पंकजा व अन्य बनाम येल्लप्पा व अन्य ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 4102 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि वादों की बहुलता को रोकने के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए संशोधन को विलंब के स्तर पर भी स्वीकार किया जा सकता है।

2. शिवमोहन पाल बनाम शिवमोहन पाल उर्फ हकला, 2020 (138) ए.एल.आर. 596 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि प्रस्तावित संशोधन पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद के निस्तारण हेतु सहायक है तो किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है।

3. मै. जे.ए. कन्सक्ट्रक्शन बनाम सरदार कुलदीप सिंह व अन्य, के

मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि संशोधन से संबंधित प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में लचीला रूख रखना चाहिए।

8— आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रावधान यह है कि *न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार से और निबंधनों पर जो न्यायसंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित करें या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।*

परन्तु विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण के प्रारम्भ के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता।

9— विचारण न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह पाया गया है कि वादी को निर्माण के संबंध में पूर्व से जानकारी थी और संशोधन प्रार्थनापत्र विलंब से प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के उस लिखित कथन को भी उद्घृत किया है, जिसमें निर्माण से संबंधित अभिवचन किये गये थे। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रतिपरीक्षा में की गयी स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख किया है, जिसमें वादी ने निर्माण का तथ्य स्वीकार किया है। पत्रावली से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी का लिखित कथन 26क दिनांक 03.08.2016 को दाखिल हुआ है, जिसमें प्रतिवादी ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय का निर्माण कार्य गतिमान है, जिसमें लिण्टर की तैयारी हो रही है। वादी महिपत सिंह ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा दिनांक 28.09.2018 में यह स्वीकार किया है कि *'' वर्तमान में नपत के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी का भवन बन चुका है। एक बीघा जमीन पर पुलिस क्षेत्राधिकारी का कार्यालय व भवन बना हुआ है।''* उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि वादी को दिनांक 03.08.2016 को प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन से ही यह ज्ञात था कि वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य गतिमान है। इस तथ्य का ज्ञान होने के बावजूद भी वादी के द्वारा मात्र दिनांक 15.03.2021 को संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है। संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में वादी ने सर्वे कमीशन कराये

जाने में हुए विलंब को आधार बनाया है, परन्तु निर्माण का तथ्य पूर्व से ही वादी के ज्ञान में था, इसलिए वादी सर्वे कमीशन की प्रक्रिया का सहारा नहीं ले सकता। आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के परन्तुक के अनुसार वादी को संशोधन हेतु सम्यक् तत्परता दर्शानी चाहिए थी, परन्तु इस प्रकरण में वादी की सम्यक् तत्परता दर्शित नहीं होती है।

10— यहां पर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि वादी के संशोधन प्रार्थनापत्र में मात्र अनुतोष को बढ़ाये जाने का कथन किया गया है, लेकिन जिस अनुतोष को वह बढ़ाना चाहता है, उस अनुतोष से संबंधित वाद कारण को संशोधन द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। अनुतोष संबंधी संशोधन मांगने से पहले वादी को वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि उसे अनुतोष का वाद कारण कब प्राप्त हुआ। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि वादी ने प्रस्तावित संशोधन में यह उल्लेख किया है कि सर्वे कमीशन के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 01.03.1980 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि पत्रावली में दिनांक 01.03.1980 की कोई सर्वे कमीशन की आख्या नहीं है। इस प्रकार वाद का कारण ही सही रूप में दर्शाया नहीं गया है। वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9— उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पत्रावली में उपलब्ध समस्त तथ्य, साक्ष्य एवं परिस्थितियों के सम्यक परिशीलन पर आधारित है। उक्त आदेश में कोई नियम प्रतिकूलता, विधि विरूद्धता एवं क्षेत्राधिकार सम्बधी त्रुटि नही है। पुनरीक्षण बलहीन है तदनुसार निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सिविल पुनरीक्षण सव्यय निरस्त किया जाता है।

दिनांक — 07.01.2023

(प्रतिभा तिवारी)
अपर जिला जज,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, `दिनांकित एवं घोषित किया गया।

दिनांक – 07.01.2023

(प्रतिभा तिवारी)
अपर जिला जज,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।